

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

2023/85

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
लालचन्द बनाम स्टेट

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 2008 वर्ष 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
28.07.2023	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 11.08.2023 को पेश हो।	
11.8.2023	<p>1 कुलाए फरीकन उपास्थत/PU साहब 2 अकार पेश है। पत्रावली 20/8/2023 गस्त 2023 दिनांक 10/8/2023 को पेश हो</p>	
	<p>10.10.2023 1 कुलाए फरीकन उपास्थत/PU साहब 2 अकार पेश है। पत्रावली 20/10/2023 गस्त 2023 दिनांक 08/10/2023 को पेश हो</p>	
08/12.2023	<p>1 कुलाए फरीकन उपास्थत/PU साहब 2 अकार पेश है। पत्रावली 20/12/2023 गस्त 2023 दिनांक 13/12/2023 को पेश हो</p>	
13.2.2024	<p>बार सब का कार्य खगन होने पर पत्रावली पुनर्मुखार दिनांक 10-4-2024 को पेश हो।</p>	
18-4-2024	<p>1 कुलाए फरीकन उपास्थत/PU साहब 2 अकार पेश है। पत्रावली 20/4/2024 गस्त 2024 दिनांक 18-5-2024 को पेश हो</p>	
17.5.2024	<p>1 कुलाए फरीकन उपास्थत/PU साहब 2 अकार उभा के इस सुनी गरी पत्रावली आशर लोक छिया गमा पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट आदि के आधार पर वाद वारी रिश्ती छिया जसा है। पूर्व विवरण साहित सिर्फ अलग से लिखा जाकर दाखिल फर्दिल छिया गमा पत्रावली नम्बर के कम भी जाकर आउ नवतीक नकमील जासा दाखिल दफतर हो।</p>	



डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

लालचन्द पुत्र बीरबल जाति ढाढी निवासी बिझांसर हाल निवास चौहिलांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-वादी

बनाम

तहसीलदार(राजस्व) पल्लू, तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादी

उपस्थित:- श्री कृष्णकुमार वकील-वादी  
पेरोकार राज-प्रतिवादी

निर्णय दिनांक- 17.05.2024

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री कृष्णकुमार वकील वादी व पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व पल्लू की उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि रौही मोजा बिझांसर के ख0नं0 26 की 4.261 है. भूमि दर्ज वादी का नाम लालू पुत्र बीरबल के स्थान पर लालचन्द पुत्र बीरबल दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 17.05.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

रावतसर

रावतसर